आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
18/7/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज पेश नहीं किया। तहसीलदार के द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की गई। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] 18/7/22	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 10:35:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 57/2022
जी.सी.एम.एस. नं. 2022/136

निर्णय दिनांक : 18.07.2022

लिछमणराम बनाम ओमप्रकाश वगै0

दावा विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी** ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.05.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.05.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..–............निल............... मुबलिक –.............निल................. दाबन.–..............................निल...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –..................निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –.................निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 07 सन 2022 को जारी की गई।

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 10:35:25 IST
Reason: SelfAttested